

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- शीलगांव

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा

103/15

रजू दिनांक

06.07.2015

निर्णय दिनांक

06.06.2018

अनुवान

1. पोहप सिंह पुत्र देवी सहाय जाति जाट निवासी जाट भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0


:-वादी

बनाम

1. सुबेसिंह
2. धर्मपाल
3. जवाहर
4. मुन्नीराम पुत्रान श्रीराम
5. खिलीया
6. बर्फी पुत्रीयान श्रीराम जातियान जाटान निवासीयान जाट भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0

:-प्रतिवादीगण

दावा-इशतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज  
वो हु0 ई0 दवामी  
अन्तर्गत धारा-88, 89 व 188  
राज0 काश्त0 अधि0 1955

  
उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0


—:पर्चा डिक्री:—

दिनांक:— 06.06.2018

उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 06.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

हाल ख0न0 454/0.24, 455/0.21 वाके ग्राम जाट भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उनके नाम के हो रहे गलत अंकन के मुताबिक आराजी को किसी दीगर जगह रहन बैय आदि प्रकार से मुंतकिल न करे ना ही उक्त आरजी में प्रवेश करे एवं न ही वादी को किसी भी प्रकार से बेदखल करें ना ही किसी अन्य से कराये पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
06.06.18  
(महेश चन्द्रमान) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)